

पत्रांक :-3/यो.1-23/2021(उ0शि0) 210/व५६

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

सुधीर बाड़ा (भा0प्र0से0),
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 07/01/2026

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम अंतर्गत बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अंतर्गत बोकारो महिला महाविद्यालय, बोकारो (स्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय) में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा हेतु रू0 48,45,600/- (अड़तालीस लाख पैतालीस हजार छः सौ) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 208/बजट दिनांक 05.01.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम अंतर्गत बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अंतर्गत बोकारो महिला महाविद्यालय, बोकारो (स्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय) में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा हेतु रू0 48,45,600/- (अड़तालीस लाख पैतालीस हजार छः सौ) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 के राज्य स्कीम के निम्नांकित शीर्ष-"मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष- BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, 01- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान,79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) (विपत्र कोड-21S220203102BS010679) (स्कीम कोड-2107) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर ठववा ज्तंदेमिटे बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के कुलसचिव द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी कर संबंधित महाविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

5. योजना की स्वीकृति बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के पत्रांक 1519 दिनांक 25.08.2025 द्वारा सत्र 2024-25 के लिए समर्पित अधियाचना के आलोक में की गयी है। स्वीकृत राशि के नियमानुसार भुगतान की जिम्मेवारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। विश्वविद्यालय अपने स्तर से जॉचोपरान्त संतुष्ट होने के उपरान्त संबंधित महाविद्यालय को भुगतान हेतु राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

9. स्वीकृत्यादेश संख्या 208/बजट दिनांक 05.01.2026 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

Gans
06.01.26
(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-23/2021(उ0शि0) 210/998/राँची, दिनांक-07/01/2026

प्रतिलिपि - महालेखाकार का कार्यालय, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Gans
06.01.26
(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-23/2021(उ0शि0) 210/998/राँची, दिनांक-07/01/2026

प्रतिलिपि - विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद /अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Gans
06.01.26
(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

8



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु जिम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 3/YO1-23/2021/210/BUDGET

दिनांक - 07-Jan-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102BS010679 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता BS - निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलटेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं 01-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर की स्थापना, कार्यशाला, कन्सलटेंसी, द्वितीय पाली में कक्षा का संचालन, नैक प्रशिक्षण अनुसंधान एवं परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित महाविद्यालयों के लिए सहायता अनुदान State Scheme	84705	DRNEDN046 SUDHIR KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	रुपये अड़तालीस लाख पैतालीस हजार छः सौ
	State Scheme :		FREE & DISTANCE EDUCATION, COACHING CENTER, WORKSHOP, CONSULTANCY, SECOND	
	Central Scheme :		GRIFT CLASSES, NAAC, RESEARCH, INCUBATION CENTER AND GRANTS-IN-AID TO VITTA RAHIT COLLEGES(2107)	

योग: रुपये अड़तालीस लाख पैतालीस हजार छः सौ

क्रमिक योग:

Sudhir Bara

4,845,600.00

(SUDHIR BARA)

DIRECTOR

